The Constitution (Amendment) Bill, 2005 (Insertion of New Article 21B)

SHRI R.K. ANAND (Jharkhand): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI R.K. ANAND: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) Bill, 2005 (Insertion of New Article 275A)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Sushma Swaraj; absent. Shri Kripal Parmar; absent. Shri B.J. Panda; absent. Shri Kalraj Mishra; absent. Dr. Alladi P. Rajkumar; absent. The Constitution (Amendment) Bill, 2004 (insertion of new article 262A) by Dr. Alladi P. Rajkumar; absent. The Constitution (Amendment) Bill, 2004 (to amend articles 75 and 164) by Dr. Alladi P. Raj kumar; absent. The electronic Media (Regulation) Bill, 2005 by Shri C. Perumal; absent. The Constitution (Amendment) Bill, 2005 (insertion of new article 275A) by Shri Karnendu Bhattacharjee.

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE (Assam): Sir I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Sir, I introduce the Bill.

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation for Admission in All Courses of Study and Faculties in the Educational Institutions) Bill, 2000

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Faguni Ram to continue the discussion. But before he starts, I would like to remind one thing to the hon. Members. I hope the hon. Members are aware that for discussing any Private Member's Resolution or Bill, the maximum time allotted is two hours, so that more and more Bills and Resolutions can be taken up. Now, this Bill has already taken two hours and eighteen minutes. After Dr. Faguni Ram finishes his speech, the Minister will speak, and, then Shri R.S. Gavai would reply. Dr. Faguni Ram, please try to finish your speech quickly.

डा॰ फागुनी राम (बिहार): उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं गवई साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बिल यहां पेश किया है। यह कहा गया है कि–

वरम् एको गुणी पुत्र: न च मूर्खशताऽन्यि।
एकश्चन्द्र तमो हन्ति न च तारागणोऽपि तत्।।

महोदय, विद्या एक ऐसी चीज है जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। डा॰ अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि–Babasaheb Ambedkar emphasised education as the basis of securing self-respect and honour. Primary education is the foundation of our quest for self-respect. This should be emphasized and maximum attention should be focussed on primary education. The drop-out rate amongst SC/ST children is very depressing, going up to eighty per cent in some States.

उपसभापति महोदय, पढ़ाई के लिए नामांकन जरूरी है क्योंकि नामांकन पढ़ाई का आधार है। किसी सब्जैक्ट में, चाहे वह प्राईमरी शिक्षा हो, चाहे टैक्निकल शिक्षा हो, चाहे नॉन-टैक्निकल शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे पीएच॰डी॰ हो, किसी भी शिक्षा के लिए नामांकन जरूरी है। जहां तक हमें जानकारी है, बहुत सी टैक्निकल कक्षाओं में, टैक्निकल संस्थाओं में, टैक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, टैक्निकल क्लासेज़ में एस॰सी॰ और एस॰टी॰ का नामांकन पूरा नहीं हो पाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्राय: उनके एडमिशन में यह किया जाता है कि उनको उनके मार्क्स के अलावा पांच परसेंट या दस परसेंट कुछ बोनस प्वाइंट्स दे दिए जाते हैं, इसके बाद मैरिट लिस्ट बनाकर एडमिशन ले लिया जाता है। इससे यह संभावना बनी रहती है कि शायद बोनस मार्क्स देने पर भी एस॰सी॰ और एस॰टी॰ का अपेक्षित अनुपात में रिज़र्वेशन नहीं हो पाएगा। मैं अनुरोध करूंगा कि एस॰सी॰ और एस॰टी॰ की अलग मैरिट-लिस्ट बननी चाहिए, क्योंकि रिज़र्वेशन में एक आधार शैक्षणिक बैकवर्डनैस का भी है। शैक्षणिक दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। इसलिए अगर एस॰सी॰ और एस॰टी॰ की लिस्ट अलग बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि रिज़र्वेशन की जितनी पोस्ट्स होंगी, वे एस॰सी॰ और एस॰टी॰ से भर दी जाएंगी और वे आगे बढ़ सकेंगे।

हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि मेरी सरकार शिक्षा की सुलभता और उत्कृष्टता, दोनों मुद्दों को प्राथमिकता देगी। हमारी सरकार ने इस पर बहुत ध्यान दिया है और योजना में भी सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से काफी प्रावधान किया गया है। हमारे मंत्री जी काफी अनुभवी हैं, काफी दयालु हैं, हमें उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। महोदय, ऐसे बच्चे भी हैं, जिनका एडमिशन लेना कैसे सम्भव होगा, इस पर हम कभी-कभी बहुत चिन्तित हो जाते हैं। ऐसे बच्चे हैं, जो मां-बाप से दूर रहते हैं, जो किसी के घर में घरेलू काम करते हैं, किसी के जानवरों को चराने का काम करते हैं, कोई घास ढोने का काम करते हैं, कोई स्टेशन पर भार उठाने का काम करते हैं, कुछ बच्चे भीख मांगने का काम करते हैं, कुछ बूट पालिश करने का काम करते हैं, ऐसे बच्चे

अपने मां-बाप से अलग रह कर, 6 साल से 14 साल के बीच या 16 साल के बीच में ही काम करने लगते हैं, या दरी बनाने का काम करते हैं या किसी कारखाने में काम करते हैं। इनके कारखाने में काम करने से कारखाना मालिकों को कुछ सुविधा हो जाती है कि वे जरूरत से ज्यादा घंटे का काम लेते हैं और उन्हें अपने मन के अनुकूल पेमेंट करते हैं। इसलिए बच्चे वहां बन्धक प्राय: बन कर रह जाते हैं। ऐसे बच्चे अपने मां-बाप से दूर रहते हैं। हमारी अनिवार्य शिक्षा की नीति है। यह बिल इस सदन में पास हो चुका है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। वे बच्चे, जो अपने मां-बाप से दूर हैं, जो दूसरों के माथे पर हैं, जो दूसरे के अधिकार में हैं, जो दूसरे के संरक्षण में हैं या जो अपने पेट पालने के लिए कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन का, उनके नामांकन का क्या होगा?

महोदय, गरीबी एक अभिशाप है। गरीबी के चलते भी एजुकेशन नहीं हो पाती है। हम अगर आंकड़ा उठा कर देखें, यह मेरे पास है, कि पहली क्लास से पांचवीं क्लास तक, पांचवी क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक और आठवीं क्लास से लेकर ग्यारहवीं क्लास तक या आनवर्ड्स, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा ड्राप-आऊट बढ़ता जाता है, शैड्यूल्ड कास्ट/शैड्यूल्ड ट्राइब बच्चों के स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। अगर यह स्थिति रहेगी, एक तो हम उनका एडमिशन कम लेते हैं, उसके बाद ड्राप-आऊट होता जाएगा, तो आगे की क्लासों में वे लड़के अपेक्षानुकूल नहीं मिल सकेंगे। हम समझते हैं कि इसमें ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिए कि सभी बच्चे कम-से-कम प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लें, और यह कोशिश रहे कि उनका ड्राप-आऊट आगे की क्लासों में कम हो, ताकि आगे की उच्चतर क्लासों में भी वे शिक्षा ग्रहण कर सकें। मेरा यह अनुरोध होगा कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

बड़ी आसानी से यह कह दिया जाता है कि योग्य छात्र नहीं मिलते, योग्य शिक्षक नहीं मिलते। लेकिन ऐसे लोग हैं, जैसे वाल्मिकी साहब ने रामायण लिखा, वे सम्भवत: हम लोगों के वर्ग के थे, कौन-सी योग्यता उनके पास थी, जो उन्होंने रामायण लिख दी। बाबा अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, उनकी कौन-सी अयोग्यता साबित होती है कि वे योग्य नहीं थे। योग्यता सब की बराबर रहती है। योग्यता और विद्या किसी की बांटी हुई नहीं है। यह एक साधना है, जो इसकी जितनी साधना करता है, वह इसको पारंगत करता है, पा लेता है। इसलिए ऐसा कहना कि योग्य छात्र नहीं मिलते हैं, योग्य शिक्षक नहीं मिलते हैं, हम समझते हैं कि उनके प्रति यह उचित बात नहीं होगी।

हम यह जानते हैं कि एक छात्रवृत्ति उनके लिए देय है। गरीब बच्चे मां-बाप के एसेट्स होते हैं। गरीब के छोटे बच्चे को भी मां-बाप जब स्कूल भेजते हैं, तो उनको अपने घर से यह समय देना पड़ता है कि मेरा बच्चा वहां जाए, स्कूल में 6 घंटे-8 घंटे पढ़े। वह अगर किसी काम में, घरेलु उपार्जन में लग जाता है, तो वह बच्चा मां-बाप के लिए उपार्जक हो जाता है, एक एसेट बन जाता है। हम समझते हैं कि ऐसे बच्चों के मां-बाप में कहीं-न-कहीं एक जागरूकता लानी चाहिए कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं। जागरूकता के अलावा जैसे छात्रवृत्ति दी जाती है, तो उस छात्रवृत्ति की

रकम को कुछ ऐसा बढ़ा देना चाहिए कि बच्चा अभाव फील नहीं कर सके। छात्रवृत्ति समय-समय पर बढ़ती गई है। पहले जितनी छात्रवृत्ति थी, आज उससे अधिक छात्रवृत्ति मिलती है। लेकिन क्या ऐसा सम्भव नहीं हो सकता है कि हम उसे महंगाई के मूल्यांकन से जोड़ दें कि जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती जाए, शैडयूल्ड कास्ट/शैड्यूल्ड ट्राइब छात्रों की छात्रवृत्तियां उनकी कक्षा के अनुरूप, प्राइमरी कक्षा से हायर कक्षा या टेक्निकल, इंजीनियरिंग या मेडिकल में, उनकी छात्रवृत्ति की रकम बढ़ती जाए। उन्हें उतनी छात्रवृत्ति दी जाए या न दी जाए, उन सभी के लिए, जो पढ़ते वाले हैं, उनको मेंटेन करने का पूरा भार सरकार अपने जिम्मे ले ले, ताकि अर्थाभाव के कारण या और किसी अभाव के कारण ऊंची क्लासों में इन्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़े। महोदय, हमारे देश में सरकार ने कोचिंग की व्यवस्था की है। आगे क्लासेज और नौकरी के लिए हमारे छात्र-छात्राओं की प्रि-कोचिंग या प्रि-ट्रेनिंग होती है ताकि वह उस क्लास के लिए तैयार हो सकें। मैं जानना चाहूंगा कि उसकी क्या अवधि होती है, किस क्लास, किस श्रेणी और किस पाठयक्रम के लिए कोचिंग होती है? मैं समझता हूं कि कोचिंग को उतने समय के लिए बढ़ा देना चाहिए जब ऐसा लगे कि कोचिंग के बाद उस कम्पटीशन में वह छात्र-छात्रा एडमीशन के लिए compete कर जाए। जब ऐसी कोचिंग की व्यवस्था होगी तो पर्याप्त संख्या में लड़के-लड़कियां मिल जाएंगी और हमें उन्हें पढ़ने-पढ़ाने में आसानी होगा।

महोदय, हरिजन-आदिवासियों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाते हैं, आदिवासियों के लिए पहाड़ी स्कूल खोले जाते हैं, अनुसूचित जाति के लिए आवासीय विद्यालयों में और नवोदय विद्यायलों में इन के लिए रिजर्वेशन का पर्सेंटेज है, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए अधिक-से-अधिक आवासीय विद्यालय खोले जाएं ताकि ये बच्चे वहां जाएं क्योंकि वहां उनको खाना-पीना रहना सब फ्री मिल जाता है। महोदय, जनजातियों के लिए एकलव्य आवासीय स्कूलों की स्थापना की योजना है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास, प्राथमिक कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक स्कूल, शैक्षणिक परिसर, आवासीय विद्यायल अधिक-से-अधिक खोले जाएं। हमारी छात्राओं के लिए अधिक आवासीय विद्यालय खोले जाएं और आश्रम स्कूल खोले जाएं ताकि उनकी पढ़ाई में कठिनाई न हो।

महोदय, जब हम जनजातीय योजना क्षेत्रों में योजना के लिए विमुक्त राशि की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि आश्रम स्कूलों के लिए यह राशि निम्न प्रकार है। यह राशि वर्ष 2002-03 में 950 लाख थी, 2003-04 में 647 लाख हो गयी और 2004-05 में 377.51 लाख हो गयी। इसी तरह अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास योजना के अंतर्गत सभी राज्यों को जोड़कर अनुदान की राशि इस प्रकार थी: वर्ष 2002-03 में 1350 लाख रुपए, 2003-04 में 1814.54 लाख हो गयी और 2004-05 में यह 939.10 लाख रुपए हो गयी। महोदय, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए एक प्रतिभा उन्नयन का कार्यक्रम चलता है। उसमें वर्ष 2002-03 में जहां 92.5 लाख रुपए विमुक्त हुए, 2003-04 में 76.88 लाख रुपए रिलीज हुए और 2004-05 में 39.3 लाख रुपए रिलीज हुए। इस तरह हम देखते हैं इन योजनाओं पर अनुदान आगामी वर्षों में कम होता चला जा-

रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में थोड़ा ध्यान जरूर दें क्योंकि ये योजनाएं उनके पढ़ने का आधार हैं और इस से उनको पढ़ने में बल मिलेगा, सुविधा होगी।

महोदय, हमारे बच्चे भी मेधावी होते हैं। हम लोग भी मेधावी हैं। अगर आप आई॰ए॰एस॰ कम्पटीशन, पी॰सी॰एस॰ कम्पटीशन या सिविल सर्विसेज में देखें तो इन सर्विसेज में उनकी कोई vacancies खाली नहीं रहती हैं। इस से यह प्रमाणित होता है कि जहां तक योग्यता की बात है, ये लोग भी पर्याप्त संख्या में या उस से भी अधिक संख्या में मिल जाते हैं। इसलिए यह विचार छोड़ देना चाहिए कि योग्य छात्र नहीं मिलते हैं बल्कि योग्य छात्र मिलते हैं।

महोदय, हमारी यू॰पी॰ए॰ सरकार में प्राइवेट सेक्टर में हरिजन आदिवासियों के लिए उच्च स्तर और विभिन्न स्तरों पर आरक्षण का प्रावधान है। हम सरकार के आभारी हैं, मैडम सोनिया गांधी के आभारी हैं। प्रधान मंत्री और पूरे मंत्रिमण्डल, कांग्रेस पार्टी और यू॰पी॰ए॰ गवर्नमेंट के आभारी हैं कि उन्होंने कई बैठकें कर इस बारे में कोशिश की है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो। महाराष्ट्र सरकार ने, जहां तक मुझे जानकारी है, एक बिल बनाकर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया है यहां भी चर्चा चल रही है और मैं समझता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो जाना चाहिए। उपसभापति महोदय, सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भावनात्मक लगाव से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जहां कहीं यह बात आ जाती है तो कई ऑफिसर भी यह नहीं जानते कि शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं, उन्हें पढ़ने-पढ़ाने की सुविधा दी जानी चाहिए।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If the House permits, I would request Shri Narayanasamy to take the Chair.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY) in the Chair]

डा॰ फागुनी राम: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि शिक्षक और छात्र, दोनों रूपों में हमारी संख्या कम है। जब हम यू॰जी॰सी॰ की रिपोर्ट देखते हैं तो पाते हैं कि प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च क्लास या कॉलेजों में भी इस वर्ग के अध्यापक कम रह जाते हैं और इसका मूल कारण यही है कि इस वर्ग के लोग उचित संख्या मे मिल नहीं पाते हैं। उसका आधार यही है कि जब हम नीचे से पढ़ाई छोड़ते-छोड़ते ऊपर चले जाते हैं तो ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जो उच्चतर शिक्षा, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेते हैं या पी॰एच॰डी॰ की डिग्री प्राप्त करते हैं या एम॰फिल॰ करते हैं। सरकार की तरफ़ से इन्हें फैलोशिप देने की या प्रोत्साहन देने का इनका जो कार्यक्रम है, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार ने इनको शिक्षित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के अवॉर्ड भी दिए हैं। जैसे-श्री राजीव गांधी जी के नाम पर अवॉर्ड और बड़े-बड़े लोगों के नाम पर अवॉर्ड, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं, बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम यह भी कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में ऐसा प्रबंध किया जाना चाहिए, चाहे वह इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या टेक्निकल हो, चाहे

मेडिकल हो या हायर एजुकेशन हो या चाहे प्रोफेसर हो, प्रोफेसर भी नॉन-टेक्निकल हो या शिक्षक हो, उनमें इस वर्ग के लोग भी रखे जाएं और आवासीय विद्यालयों की, आश्रम विद्यालयों की, छात्र-छात्राओं के लिए आवासों की संख्या अधिक बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ये लोग अधिक-से-अधिक पढ़ सकें और कोशिश होनी चाहिए कि शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब के जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी को, अगर वे मिनिमम योग्यता भी रखते हों, तो उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए। मैक्सिमम योग्यता तो यह होती है कि उसमें कंपीट करेंगे और 55 परसेंट या 60 परसेंट या 80 परसेंट अंक अर्जित करेंगे, लेकिन मिनिमम योग्यता तो यह होनी चाहिए कि अप्लाई करने की मिनिमम इतनी योग्यता हो। अगर उनके पास मिनिमम योग्यता के भी छात्र आते हैं, तो उन्हें पढ़ने का मौका देना चाहिए, ताकि आगे वे अपनी पढ़ाई में सुधार कर अच्छी पढ़ाई कर सकें, योग्य बन सकें और प्रतिभाशाली बन सकें। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जब पिछली बार चर्चा हो रही थी, उसमें मैंने बहुत-सी बातें उस समय कही थीं। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं और मैं आभार प्रकट करते हुए करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, ये अवांछित क्लास के लोग हैं, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये कमजोर वर्ग के लोग हैं, ये अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, इनमें जागरूकता लाकर शिक्षा के प्रति उन्मुक्त भावना जागनी चाहिए। इस तरह शिक्षा के रस, शिक्षा की महानता, शिक्षा के लाभ के बारे में उनको जानकारी मिलती रहनी चाहिए ताकि वे स्वत: भी अपने बच्चों को आगे पढ़ाने में जल्द-से-जल्द तत्पर हो सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे मंत्री जी से इतनी विनती करने का अवसर मिला, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साभार।

SHRI MATI LAL SARKAR (Tripura): Mr. Vice-Chairman, Sir, first of all, I support the Bill borught in here by the hon. Member, Shri R.S. GAVAI, for giving reservation to Scheduled Caste and Schedule dTribe students in higher studies in all faculties in the educational institutions. Sir, while bringing the Bill, the hon. Member stated the Objects and Reasons. He has referred to Indira Sawhney case in which the Supreme Court opined, "reservation in technical, super-specialities and other advanced and specialised courses of study shall not be made for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes". Sir, this is an obstruction and only the enactment of a law can get over this obstacle. There is no other way and, that is why, this Bill is very useful and pertinent. Sir, our Constitution assures us of equality in opportunity and status, giving socio-economic justice to all the citizens of India.

The Scheduled Caste and Scheduled Tribe people have the reservation in the higher ranks of adminstration. The reservation is applicable in case of Doctors, Engineers and IAS also. In all the posts from bottom to the

higher form of administration, the reservation is applicable. When the reservation is applicable in the higher ranks of the administration and in all sections, and, it is not there in terms of education, then the reservation in higher posts becomes meaningless. So, we have to overcome this.

Sir, we see here that there is restriction in higher studies, in technical and professional studies for the SCs and STs. Very interestingly, we see that the students belonging to the families of higher status whose parents are rich and can afford their education, manage to have admissions in all these faculties though they are not 'reserved', they don't possess merit. What is considered in terms of merit and competition? There are ample instances where we see that in the privately managed colleges or institutions, there are students who may not be termed as meritorious, who are not having such type of qualities but still they manage admission by paying money, donation fee, capitation fee, whatever term we may use. Rule is not there to prevent them, law is not there to prevent them; and, law is coming here to prevent the SC and ST students, and, questions are being raised that they may not be competitive; they may not be meritorious. This has to be got through. Sir, for this reason, the Government is affording education at the school and college levels. The Government is affording education in a very befitting manner. The plans and the structure are very good. I should rather appreciate so that the merit can develop in the SC/ ST students. The Government is having plans. But the plans are not in practice, in reality. I have gone through the performance Budget. At page 5, the allotment of funds has been narrated. At the same time, the expenditure is also mentioned here. What we have seen is, the Central assistance for the Special Component Plan for the Scheduled Castes, for the year 2004-05; is Rs.402 crores. It is the outlay. And, the expenditure incurred was Rs.202.13 crores only. For pre-matric scholarship, funds earmarked were Rs.16 crores, and the expenditure was Rs.7.52 crore only. For the upgradation of merit, which is very important, because we like our students to be meritorious, and there is a scheme to upgrade them, upgrade their merit, and for this scheme, the amount allotted was Rs.18 crores, and the expenditure was Rs.1.54 crores only. Sir, there are so many instances like these. For the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, funds earmarked for them were Rs.15.10 crores, and the expenditure was zero by 31st December, 2004. For the National Safai Karamchari Finance and Development Corporation, funds earmarked were Rs.20 crores, and the expenditure up to 31st December, 2004 was zero. So, whenever the Government is making arrangement,

that is not coming to account. What is the reason behind it? We must go deep into the reason. We have administration. We are having efficient officers in different departments who ought to do all these things. But, there is no mindset, Sir. Practically, there is lacuna in the mindset. I do not say that there are no well-wisher officers. There are a substantial number of well-wisher officers. Otherwise, the work could not be done. There are such officers. But, even then, in this area, lack of intention to execute all these is prevailing. So, what do we need? We need to raise some organisational wave, so that the mindset of the persons who actually execute these plans and programmes can be changed. Sir, what is the actual position of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes? We should consider the reservation in the higher faculties of education. We should consider it in totality, and not in an isolated way. The 2001 Census Report says the landless labourers belonging to the Scheduled Castes cover 49 per cent. Population wise, they are 16.23 per cent only. Population in terms of percentage is 16.23. Agriculture labour comprises 49 per cent; and in the cultivation sector, they occupy 25 per cent. Their main profession is pisciculture, sanitation work, leather work, etc. These are some of the main sectors where they work. Our Education Policy, Government's Policy, should be made to upgrade them by considering their present level, what is their profession, where do they reside, where do they work, etc. We must think the matter over, and then formulate a plan so that we can bring them up.

Sir, in the Standing Committee Report of 2004-05, I have seen that the Special Central Assistance released by the Ministry...*(Time-bell)*... Sir, I have just started.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): You have already taken more than ten minutes.

SHRI MATILAL SARKAR: A sum of Rs.23,226.12 lakhs was released, but the utilisation, as on 31st December, was Rs.12,669.09 lakhs. Only 55 per cent was utilised. I think there are shortcomings on the part of monitoring. The Standing Committee has recommended periodical meetings with different States. The Centre may say that it is in the Concurrent List, so the responsibility lies with the States; many Departments have given this reply. This is not an escape, because we are thinking in totality. We make the policy here, and the Central Government disburse funds. It is pertinent for the Central Government to see whether the funds are utilised or not. In the months of February and March, we find that huge amounts remain unutilised. I would request the hon. Minister to have a periodical check so that the amount does not accumulate for the whole year. Sir, I

would like to say that it should be treated in totality and not in an isolated manner. The conditions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, whatever may be our policy, whatever may be our motto, and whatever may be our outlook, have not reached an admirable stage. They are being neglected in almost all spheres. I have some data with me, but I do not want to go into the details, because it will take time. the Scheduled Castes people are still suffering from atrocities. The number of atrocities is not coming down from the level of 25,000 a year. What we have seen is that persons who are arrested, get free; persons arrested manage to get free and the actual conviction does not account even for 10 per cent of the persons who are arrested...*(Time Bell)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Kindly conclude.

SHRI MATILAL SARKAR: Okay, Sir. Taking the opportunity, I would like to point out one thing because this Department deals with the affairs of OBC also. In our State and in seven other States, total in eight States, in the State-level services, there is no reservation because already 50 per cent and more than 50 per cent reservation is prevailing there. That is why the State Governments cannot cut across to overcome that 50 per cent bar. Our State Government approached the Centre and from our State Assembly also, a delegation came to the Central Government, not to this Government, but to the previous Government, as to how this obstruction of 50 per cent could be got over because not even one per cent, we cannot afford reservation for the OBC. In our State of Tripura, we are having one OBC Development Corporation. For years together, we are not getting funds from the Centre. We are not getting funds to provide loan to the local artisans. These two points. I wanted to mention here. I think I have been able to draw the attention of the hon. Minister.

While concluding, I would like to speak about one more thing, that is, only allotment of funds will not do. I would like to say, in the end, that mere allotment of funds would not do because the problem is deep-rooted. According to Dr. B.R. Ambedkar, the root of untouchability is the caste system; the root of caste system is the religion attached to *Varnashram*; the root of *Varnashram* is the *Brahammical* religion; and the root of *Brahammical* religion is the authorisation of power. So, that is why the unparallel question of empowerment has come. So, that is why the unparallel question of empowerment has come. Sir, castes and classes are getting to be combined. I do not like to see the problem from the caste chauvinistic point of view. What my party says in this regard is that it is the ruling

class, landlords and monopoly capital, who are governing the country everywhere; they have managed to govern the country anyhow. They are the root cause now...*(Time-Bell)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): You have taken more than 20 minutes.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, what we require is not only the allotment of funds, but we also require a mighty movement all over the country so that their conscience may upsurge. The toiling masses comprise SC, ST and OBC. If you go to analyse the set of the toiling masses, either there will be SC or there will be ST or there will be OBC. So, I call upon all the parties, belonging to different parties—Opposition is not here, BJP is not here, who are dealing with communalism—let us build a strong movement all over the country for class upsurge. If we can do that, then caste chauvinism will also disappear.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Thank you, Mr. Matilal Sarkar.

श्री धर्मपाल सभ्रवाल (पंजाब) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। गवई साहब जो बिल लाए हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन कई ऐसे बिन्दु हैं; जिनकी तरफ मैं आपका और इस हाउस का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस समय यूपीए की सरकार है। हमारी सरकार समाज में जो लोग पिछड़े रह गये हैं, जो दलित हैं, उनके प्रति वचनबद्ध है। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको एजुकेशन में वजीफा दिया जाये, उनको ऊंची क्लास में पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाये। यह जो बिल है, यह उनकी आज की आवाज है। आज नौकरियां बहुत कम हैं, इसलिए उनको टेक्नीकल एजुकेशन दी जाए, ताकि वे अपना स्वरोजगार चला सकें। जैसा कि मेरे एक सहयोगी सांसद ने कहा है कि डाक्टर के लिए जो रिजर्वेशन का अंकित रखा जाता है, उसमें से उसको कुछ मार्क्स देकर आगे लाया जाये। उन्होंने यह भी कहा है कि जो धनाढ्य परिवार हैं, उनके मार्क्स कम होने के बावजूद भी वे पैसे के बल पर, डोनेशन देकर प्राईवेट कालेजों में एडमिशन ले लेते हैं और वहां से डिग्रियां लेकर समाज में आ जाते हैं। जो आई ए एस आफीसर बनते हैं, उसमें भी रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि कैसे गुर्दे का व्यापार हो रहा है,कैसे गरीब लोगों की आंखें निकालकर, उन आंखों का व्यापार हो रहा है। अगर इसकी इन्वेस्टीगेशन की जाये तो पता चलेगा कि ये वही डाक्टर्स हैं जो अपना बहुत-सा पैसा खर्च करके, बहुत-सी डोनेशन देकर के वे डिग्रियां लेकर आते हैं और वे पैसे को ही इकट्ठा करने में लगे हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज गांवों में जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं उनकी एक मोनोपॉली बन गई है, वे लोग एयरकंडीशनों में, अच्छे घरों में, शहरों में पढ़ लिखकर, गांवों में जाकर वे गरीब के बच्चे को पढ़ाने

में असमर्थ हैं। महोदय, जितने भी प्राईमरी स्कूल्स हैं, वे खाली पड़े हैं। एक टीचर भी, अपने बच्चे को कांवेंट स्कूल में, प्राईवेट स्कूल में पढ़ाकर एजुकेटिड करता है। हम हायर एजुकेशन में वजीफा देते हैं, हम उसमें रिजर्वेशन भी रख दें, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा प्राईमरी स्कूल से ऊपर नहीं उठेगा, तो वह कहां पांचवीं में जायेगा, कहां आठवीं में जायेगा, कहां वह टैन प्लस टू में जायेगा? यह बड़ी सोची समझी साजिश है। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि इन गरीबों के बच्चों को प्राइमरी में से ही ऊपर नहीं उठने दिया जाये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, प्राईमरी स्कूलों के लिए यह जरूरी है कि वहां पर अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे टीचर्स हों, ताकि प्राइमरी की एजुकेशन दलित वर्ग के लोगों को मिल सके और वह आगे आ सकें। अगर ऐसा नहीं सोचा गया, तो एजुकेशन में यह वर्ग आगे नहीं आ पायेगा। कहां से यह डाक्टर बनेगा, कहां से यह वकील बनेगा, कहां जज बन सकेगा, इसलिए प्राइमरी से ही ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। मैं यह समझता हूं कि शिक्षा का यह जो म्यार बना हुआ है, यह जो प्राईवेट संस्थान बने हुए हैं, ये एक किस्म के भ्रष्ट अड्डे बने हुए हैं। ये टीचर को थोड़ी- सी तनख्वाह देते हैं और स्कूल के बच्चों से बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। जब तक एजुकेशन का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, तब तक जो गरीब का बच्चा है, जो खेत मजदूर का बच्चा है, तो एक * का बच्चा है, तो एक घास काटने वाले का बच्चा है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। समाज को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस तरफ देखना चाहिए कि हम ऊपर से जो फैसिलिटीज़ देते हैं, वे कहां पर उन बच्चों को मिल सकती हैं, कहां पर उनको एजुकेशन मिल सकती है। जैसे पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन, कितनी संस्थाएं बनी हैं ताकि इन वर्गों को आगे उठाया जाए। एक *जो है, सफाई सेवक जो है ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: *शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए।...(व्यवधान)...

श्री धर्मपाल सभ्रवाल: हरिजन पर भी आपत्ति होती है।...(व्यवधान)...हरिजन पर भी कुछ लोग आपत्ति करते हैं। हरिजन तो वह शब्द था जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन अछूतों को दिया था और उस समाज को यह शिक्षा दी थी कि ये भी उस हरि के ही जन हैं, उस भगवान के ही लोग हैं, इनसे नफरत मत करो। आज तो उस पर भी आपत्ति होती है। कुछ लोग उस पर भी आपत्ति करते हैं। मेरे कहने का भाव यही है कि वे लोग जो सुबह उठकर-कोई तो भजन करता है, कोई पढ़ता है, कोई अपनी तैयारी करता है-किन्तु ये सुबह उठकर गंदगी का मुख देखते हैं, लोगों को स्वच्छता देने के लिए उनकी गंदगी की सफाई करते हैं। आज उनके लिए भी कार्पोरेशन बनी हुई है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Sabharwalji, the word that you have used is unparliamentary. That should not have been used. Therefore, I remove it from the record.

SHRI DHARAM PAL SABHARWAL: I am sorry, Sir. I withdraw it. इस प्रकार उसके लिए भी कार्पोरेशन बनी है और उस कार्पोरशन में यह कंडीशन है कि जो उस सफाई सेवक पर निर्भर करता है, उसको ही वहां से कोई ऋण दिया जा सकता है। महोदय, एक तो बूढ़ा है, एक उसकी बूढ़ी मां है, वह उस पर निर्भर करती है या वे बच्चे हैं जो अंडर एज हैं, वे उस पर निर्भर

*Not recorded.

करते हैं। उनको कार्पोरेशन से क्या लाभ हो सकता है? इसलिए इस कंडीशन को बदलना चाहिए कि जो आदमी उस वर्ग में पैदा हुआ है, उस परिवार में पैदा हुआ है, जिससे समाज नफरत करता आ रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था हो ताकि वे अपनी रोजी-रोटी के लिए रोज़गार चला पाएं। वे पढ़े-लिखे लड़के अपना कोई कारोबार चला सकें। इसमें ऐसी कंडीशंस की व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, अंत में मैं एक ही बात करना चाहता हूं। रिज़र्वेशन में जो बात कही जाती है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए इनको उस स्थान पर नहीं रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। डा॰ अम्बेडकर साहब और जैसा अभी माननीय साथी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि कितने पढ़े लिखे थे जिन्होंने दस हजार वर्ष पहले ही रामायण की रचना कर दी। मैं फिर यही बात दोहराऊंगा कि अगर एजुकेशन को नेशनलाइज्ड कर देते हैं तब पता चलेगा कि कितने डा॰ अम्बेडकर पैदा होते हैं। हर परिवार में डा॰ अम्बेडकर पैदा होंगे। अगर उनको इस आधार पर तरक्की दे दी जाती है तो एक शब्द कहा जाता है कि वह सुपरसीड कर रहा है। यह हमें सुपरसीड कर गया है। महोदय, मैं आपको एक कथा बताना चाहता हूं कि जब पांडव द्रोणाचार्य जी से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस समय द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, आप से बढ़कर कोई और इस दुनिया में धनुषधनी नहीं होगा। जब यह बात चल रही थी तब उनके साथ एक कुत्ता जा रहा था कुत्ते ने किसी को देखकर ज्योंही भौंकने की कोशिश की, तभी तीरों की बौछार आयी और उस कुत्ते का मुंह बंद हो गया। उस समय अर्जुन ने भी यही बात की थी हे गुरु महाराज, हे गुरु द्रोणाचार्य जी, आप तो कहते थे कि मुझसे बढ़कर और कोई धनुषधनी नहीं होगा, लेकिन यह कौन है जो मुझे सुपरसीड कर रहा है? वह जो सुपरसीड करने वाला था, वह एकलव्य था वह एक आदिवासी का बच्चा था और उसने अपने घर में, जो उसे स्वप्न में तस्वीर मिली, उसको अंकित करके उससे विद्या हासिल की और वह धनुषधनी बना। जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपका गुरु कौन है, तो वे उनको अपनी झोंपड़ी में ले गए और उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु हैं। ऋषि-मुनियों की तो एक जैसी दाढ़ी, एक जैसी वेशभूषा होती है तब द्रोणाचार्य ने कहा कि यह तो मेरी ही तस्वीर है, मैं ही आपका गुरु हूं। कभी सुना है कि गुरु अपने शिष्य का कत्ल कर दे, उससे शिक्षा छीन ले? गुरु तो शिक्षा देने के लिए होता है, लेकिन उसके साथ भी षड्यंत्र हुआ कि उसके दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु-दक्षिणा के रूप में ले लिया गया। यह इतिहास है इन दलितों का, यह इन आदिवासियों का इतिहास है।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): You please conclude now.

श्री धर्मपाल सभ्रवाल: जो इतने दिनों से पिछड़े हुए हैं, जिनका शोषण होता रहा है, तो आज यह यू॰पी॰ए॰ की सरकार आई है और ये चाहते हैं कि हम उन दलितों को - मैं तो यह कहूंगा कि दलितों में से जो भी दलित हैं, उनसे शुरू किया जाए, कि उनका पालन-पोषण किस तरह से हो और उनके बच्चों को किस तरह से तालीमयाफ्ता किया जाए और उनके बच्चों को समाज में किस तरह से बराबर लाया जाए। इस बिल का समर्थन करते हुए, मैं यही आशा करता हूं कि नीचे से जो पीछे रह गये हैं, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ नहीं पाते, वे आगे कैसे आएंगे, इस विचारधारा पर हमें विचार

4.00 P.M.

करना चाहिए। इर शब्दों के साथ, मैं मंत्री महोदय से बहुत आशा करता हूं, क्योंकि वे गांधीवादी हैं और गांधीवादी विचारधारा को आगे ले जाकर, उन लोगों को, जैसे महात्मा गांधी जी सफाई कर्मचारियों की झोंपड़ियों में जाकर रहे थे, इसी तरह से आज समय है कि हमें उनकी हालत को देखते हुए, जो समाज में, दलितों में और दलितों से भी जो पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Prof. Saif-ud-Din Soz. He is not here. Yes, Mr. Minister. After your intervention, he will reply. The Minister will intervene now.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Sir, I am grateful to Mr. Gavai for having focussed the attention of the House on an issue which has been of a great concern to the polity of our country. As a matter of fact, the situation prevailing, when India became free, was much worse and we must accept the fact that Gandhiji realised the fact that the Freedom Movement, which he launched, which had the liberty of the country as its focal point, would not be sufficient to make India free, unless we are first prepared to understand and address the issues which affect the Dalits of this country. I think it is the unique vision of Gandhiji that ultimately brought about the consciousness that India can become, in real terms, free only when we are able to ameliorate the conditions of the Dalits in this country. The reforms that were undertaken, we must admit, had a great impact on the situation in the country. I can't deny the fact that the total atmosphere has been altered. The very fact that the society now looks down upon any situation which does not treat every citizen of this country equally is itself a great achievement. That has also given quite different perspective to the people of this country on this issue. Shri Gavaiji has moved this Bill, obviously, after having reflected on the progress that we have made, achievements that we have made and the shortcomings that still remain. I hope this House is aware of the fact that the Government and certainly the leaders have been conscious of the shortcomings. The National Common Minimum Programme has taken special care of it and its intention to provide equality of opportunities to SCs and STs for their educational development has been very consistent and constant. I would like to assure the Hon. Members that many steps have been taken in this regard, the latest being the constitution of the Committee of Ministers on Dalit Affairs. This Committee has been entrusted with many special issues to see as to how far we have progressed and where are we lagging behind. I am quite certain that in the

sphere of activity, which has been referred to by Shri Gavai and other hon. Members, it will become the subject matter for special examination and will be able to report and devise methodologies so that the shortcomings brought into focus today are attended to adequately. The Government has also decided that this Bill would be referred to this Committee. We will certainly benefit from all the suggestions made in the debate and certainly by the thinking of Shri R.S. Gavai. I have no doubt in my mind that the Committee of Ministers on Dalit Affairs will be able to take this cause much more forward

In this background, I would like to appeal to Shri Gavai to let this matter be dealt with in the manner I have just said. Sir, on one thing there is no difference of opinion, that this issue must receive attention at the highest level and we should not leave anything undone to see that equality of opportunities to all SCs and STs in the country is provided. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Gavai, you have got a very favourable reply. Are you satisfied? Are you withdrawing the Bill?

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Let the house be satisfied. I will take only two or three minutes. Sir, it is my duty to thank the hon. Members who have participated in the debate on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation for Admission in all Courses of Study and Faculties in the Educational Institutions) Bill 2000. The Members who participated include Shri V. Narayanasamy, Shri Ram Nath Kovind, Shri C. Perumal, Shri R. Shunmugasundaram, Shri Moolchand Meena, Shri N. Jothi, Shri Jesudasu Seelam, Shri Datta Meghe, Shri Penumalli Madhu, sister Shrimati Jamana Devi Barupal, Shri E.M. Sudarsana Natchiappan, Shri Faguni Ram, Shri Matilal Sarkar and Shri Dharam Pal Sabharwal. I am very happy that there has not been a single dissenting voice during the long discussion on this very important subject. Cutting across party lines, the hon. Members, who participated in the debate, supported it whole-heartedly. So, this is a new era when the whole House is conscious about the problem which I have raised. So, once again, I extend my thanks to the hon. Members. Last but not the least, I thank the hon. Minister, respected Arjun Singhji, for his kind reply It may be a short reply but a very sweet and a very meaningful reply. That is why at the outset I said, "I am quite satisfied." The hon. Minister has requested me to withdraw the Bill. But even if he has not requested me to do, after his reply, there is no other alternative for me than to withdraw the Bill. .

SHRI JAIRAM RAMESH: You have to also thank those who have listened to you.

SHRI R.S. GAVAI: Yes; I also thank those who had no opportunity to speak on the subject, but have listened patiently to others, like my friend, Shri Jairam Ramesh.

So, Sir, the hon. Minister has given a categorical assurance. The Bill will be sent to Committee for its consideration. Now what else would I want? It is also a matter of appreciation that a Group of Ministers has been appointed to look into this problem. In fact, it has been brought to the notice of the Committee that the names of the deserving students belonging to the SCs and STs could be to the tune of 50. So, the argument that there are no deserving candidates from the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes is nullified. In fact, I want to mention here that the Union Public Service Commission or the Selection Board do it on the basis of their choice, not on merit. I demand that it shoud be on merit and not by choice of kith and kin. This is another valid point which was brought to the notice of the Group of Ministers.

Sir, despite the reply given by the hon. Minister, Shri Arjn Singhji, I know him since my college days—his dedication and devotion towards the weaker sections of the society is to be counted. Therefore, I don't think that it is only a technical reply, but it is a reply of dedication and devotion.

Sir, during the course of this Session, a number of events have taken place. The seventy-sixt birthday clebration of Shri Arjun Singh was celebrated in the august presence of Shrimati Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh. I had the opportunity to read the volumes released on his birthday. That indicates his dedicaton and devotion. I am quite sure that the object of my Bill is acceptable to the hon. Minister and to the House. I hope there will be a positive result. Recently, during the couse of the session, his 75th birthday was celebrated. I wish him a happy, long and prosperous life. I do not want to dilute the beauty and the sanctity of the speech. I do not want to make an elaborate speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The Chair also wishes long life to the hon. Minister.

SHRI R.S. GAVAI: Sir, I request the House to grant me leave to withdraw the Bill.

The Bill was, by leave withdrawn.